फर्द अहकाम

ालय गोपाल लाल बनाम जगदीश वगै०

ा 125/17 विविध

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष वियरण
13/06/18	पत्रावली आज दिनांक 13.06.18 को पेश हुई, बहस दिनांक 04.06.18 के अनुसार, स्थापित सिद्धांतों से प्रार्थना एवं प्रस्तुत साक्ष्यों पर मनन पश्चात प्रार्थना पत्र आ० 09 नियम 13 को खारिज किया जाकर निर्णित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली नं० से कम हो। 13/06/18 उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः 125/2017

दर्ज दिनांकः 26/10/2017

निर्णय दिनांक :13/06/2018

गोपाल लाल बनाम जगदीश वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 एवं धारा 151 जा.दी. बाबत मु.नं. 19/17 में निरस्त फरमाये जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.17

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 10 ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 49 के खसरा नंबर 384 रकबा 10 वीघा 04 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डाबला बुजुर्ग तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसका बंटवारा होने के उपरांत नामान्तकरण संख्या 733 दिनांक 05.10.17 पर विभाजन की पालना पर नये खसरा नंबर 384/1 से 384/9 बनाये गये जिनके प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 10 एवं वादी/अप्रार्थी व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 व 11 से 13 खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसमे श्रीमान न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.06.2017 को कैम्प कोर्ट मोहब्बतपुरा में वादी का वाद बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स व मौका कब्जे सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री फरमाया गया था एवं पर्चा डिक्री जारी कर तहसीलदार फागी को कुरेजात हेतु नियत की जाकर वास्ते इंतजार कुरेजात पत्रावली दिनांक 28.08.2017 को नियत की गई थी। न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार फागी द्वारा कुरेजात पेश किये जाने पर दिनांक 26.09.2017 को श्रीमान न्यायालय द्वारा वकील वादी के प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई होने पर आगामी तारीख पेशी 12.10.2017 से पत्रावली तलब कर दिनांक 26.09.2017 को शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुये वादी का वाद मुताबिक कुरेजात अंतिम डिक्री फरमाया गया है। न्यायालय का निर्णय डिक्री उक्त कारणो से खारिज किये जाने योग्य है। वादी की ओर से श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वाद संख्या 19/17 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसमें आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी प्रतिवादगण दिनांक 13.04.2017 नियत की गई। उक्त नियत दिनांक के तलबी के नोटिस श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2017 को जारी किये गये उक्त नोटिस की तामील कुनिंदा द्वारा जिस प्रकार की गई है

Scanned by CamScanner

उसे तामील नहीं मानी जा सकती क्योकि तामील कुनिंदा ने प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण की तामील हेतु अपनी जो टिप्पणी की है उसमें तामील कुनिंदा ने लिखा है कि श्रीमानजी आसामी मौजूद मिला, नोटिस लेने से मना किया, साक्षीयों ने हस्ताक्षर करने से मना किया, अदम तामील सेवा में पेश है। जबकि न्यायालय द्वारा उक्त अदम तामील नोटिस पर पुनः तामील के नोटिस जारी फरमाये जाने थे लेकिन दिनांक 19.06.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मोहब्बतपुरा पर पेश होने पर प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण की तामील को पूर्व में नोटिस तामील हो चुके हैं आवाज दिलाई गई हाजिर नहीं है अतः प्रतिवादी 2 से 12 की एक्सपार्टी की जाती है। शेष प्रतिवादी संख्या 1 व 13 के कहने मात्र से वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया जबकि न्यायालय द्वारा जारी तलबी नोटिस प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को न तो प्राप्त हुए है न ही कानून के अनुसार तलबी ही हुई मानी जा सकती है क्योकि तामील कुनिंदा ने स्वयं नोटिस अदम तामील लौटाये है। कानून के अनुसार पुनः तलबी के नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे। प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 13 की आपसी मिलीभगत के चलते एवं मान्य न्यायालय को लोक अदालत की भावना का मुगालता देकर अपना वाद प्राथमिक डिक्री कराकर इसे अंतिम डिक्री करवाया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी के विरूद्व एकतरफा आदेश दिनांक 19.06.2017 को मंसूख फरमाया जाना एवं पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री निरस्त फरमाई जानी अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 13 की साजिश का शिकार हो जायेगा एवं प्रार्थी को नातलाफी नुकसान उठाना पडेगा इसलिये भी उक्त एकतरफा आदेश मंसूख फरमाया जाना एवं पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19/06/2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 26.09.2017 को निरस्त फरमाया जाना अति आवश्यक है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरूद्व पारित एकतरफा आदेश दिनांक 19.06.17 को मंसूख फरमाया जावे एवं एकतरफा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.17 एवं अंतिम डिक्री दिनाक 26.09.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 09.11.2017 को वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी. पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली तलब करने अनुसार, पत्रावली तलब की गई।

Scanned by CamScanner

पक्षकारान को सुना गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, मूल वाद, लिखित बहस अप्रार्थी, वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2006–07 (Supp.) आर.आर.टी 676, 2017(1) आर.आर.टी 228, 2017(1) आर.आर.टी 237 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वाद संख्या 19/17 गोपाल लाल बनाम जगदीश व अन्य दिनांक 19.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं दिनांक 26.09.2017 को कुरैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर न देते हुये विधि विरूद्व निर्णय पारित करने का कथन कर, निर्णय डिक्री दिनांक 26.09.2017 को खारिज करवाना चाहा है।

प्रार्थी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि प्रार्थी को तामील कुलिन्दा द्वारा नोटिस दिया गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से मना किया गया। जिस पर दिनांक 19.06.2017 को प्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुये वाद प्राथमिक डिक्री किया गया था। प्रार्थी को यदि कोई आपत्ति थी उसे निर्णय प्राथमिक डिक्री पश्चात एवं नक्शे कुरैजात के समय आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात दिनांक 26.09.2017 को वाद अंतिम डिक्री किया गया। प्रार्थी को संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी रही है।

न्यायालय द्वारा वाद में विधिसंगत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। न्यायहित में प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (राज.)

Scanned by CamScanner